

भैरुलाल विरुद्ध मनोहर सिंह

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग० 818—दो / 15

जिला - उज्जैन


स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१८.५.१५	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता एवं समयसीमा के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में आवेदक के द्वारा साक्ष्य पेश न करने के कारण साक्ष्य व प्रतिपरीक्षण का अंतिम अवसर समाप्त करते हुए बार-बार अवसर देने के उपरांत भी साक्ष्य पेश न करने से साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है और प्रकरण को अनावेदक की साक्ष्य के लिए नियत किया गया है। उक्त आदेश प्रकरण की स्थिति को देखते हुए विधिसंगत है। यदि आवेदक को बार-बार अवसर देने के उपरांत भी वह साक्ष्य पेश नहीं करता है तो न्यायालय के समक्ष उसका अधिकार समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है और यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। आवेदक सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">(Signature) सदस्य</p>	



माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी महोदय राजस्व मण्डल
ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण. क्र / 15 निगरानी

निगरानी ८/८-II-१५



दिनांक २६.३.१५ को उड़ेजन
पर श्री भाट के द्वारा, भाई
प्रद्दह ।

dhm
२६.३.१५

- 1 भैरुलाल पिता श्री गंगाराम जी, आयु लगभग 60 वर्ष, जाति गारी, व्यवसाय कृषि,
 - 2 गोपाल पिता श्री गंगाराम जी, आयु लगभग 40 वर्ष, जाति गारी, व्यवसाय कृषि,
 - 3 दिनेश पिता श्री गंगाराम जी, आयु लगभग 38 वर्ष, जाति गारी, व्यवसाय कृषि,
समस्त निवासीगण—ग्राम डाबरी तहसील घटिया जिला उज्जैन (म.प्र.)
- निगरानीकर्तागण / आवेदकगण

विरुद्ध

- 1 मनोहर सिंह पिता श्री नाथु सिंह जी, आयु लगभग वर्ष, जाति राजपूत, व्यवसाय कृषि
 - 2 भोम सिंह पिता श्री बने सिंह जी, आयु लगभग वर्ष, जाति राजपूत, व्यवसाय कृषि
समस्त निवासीगण—ग्राम डाबरी तहसील घटिया जिला उज्जैन (म.प्र.)
- निगरानीगृहितागण / अनावेदकगण

माननीय अधीनस्थ योग्य न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील घटिया जिला उज्जैन म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक-५/अ-१३/२०१०-२०११ नया नंबर ०७/अ १३/१३-१४ भैरुलाल आदि विरुद्ध मनोहर सिंह आदि में पारित अंतरिम आदेश दिनांक-१०/०७/२०१२ तथा आदेश दिनांक-१६/१२/२०१४ से असतुन्ष्ट एवं दुःखी होकर एवं वैधानिक आधारों पर निगरानी आवेदन पत्र अर्त्तगत धारा ५० म.प्र.भू.रा.सं. १९५९।